निर्णय वइजलास श्री रामसिंह गुर्जर आर.ए.एस. उपखण्ड अधिकारी छबडा जिला बारां द्वारा अध्यासित

प्रकरण संख्या 38 / 2021
दायरा दिनांकः–28.07.2021
निर्णय दिनांकः–25.02.2025

उनवान

1. छोटुलाल आयु 46 वर्ष पुत्र नारायण जाति माली निवासी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बारा (राज0)

बनाम

1. राधाकिशन आयु 60 वर्ष पुत्र नारायण जाति माली निवासी ग्राम चांचोडा
2. रामप्रसाद आयु 58 वर्ष पुत्र नारायण जाति माली निवासी ग्राम चांचोडा तहसील छबडा जिला बारां (राज0)

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0 टी0 एक्ट0

निर्णय दिनांकः–25.02.2025

अभिभाषक उपस्थितः–1. श्री नारायण लाल चोरसिया – प्रार्थी
2. श्री कमल सिंह आशावत –अप्रार्थी (1)
3. श्री हेमन्त पारीक – अप्रार्थी (2)

अभिभाषक प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 आर.टी.ए विरूद्ध अप्रार्थीगण के न्यायालय में इस आशय का पेश किया गया कि प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जे काश्त की भूमि खाता संख्या 212 / 205 की खसरा नंबर 158 रकबा 05 बिस्वा, खसरा नबर 159 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा, खसरा नंबर 1023 रकबा 04 बीघा, खसरा नंबर 1024 रकबा 07 बीघा 01 बिस्वा कुल किता चार रकबा 24 बीघा 02 बिस्वा भूमि वाके ग्राम चांचोडा तहसील छबड़ा में स्थित है। उक्त विवादग्रस्त भूमि खसरा नंबर 159 रकबा 12 बीघा 16 बिस्वा भूमि में ट्यूबवैल भी शामलाती में ही खुदवाया था। जिससे प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण शामलाती में भूमि सिंचित करते आ रहे हैं। उक्त विवादग्रस्त भूमि में मौखिक रूप से 1/3–1/3 में मौके पर बराबर–बराबर बंटवारा हो रहा है। बंटवारेनामे के अनुसार उत्तर दिशा की भूमि अप्रार्थीगण के हिस्से में आई है तथा दक्षिण दिशा की भूमि प्रार्थी के हिस्से में आई है। प्रार्थी का आम रास्ता दक्षिण दिशा की भूमि खसरा नंबर 159 की 12 बीघा 16 बिस्वा में प्रार्थी का आम रास्ता स्थित है। बंटवारे के अनुसार प्रार्थी का खसरा नंबर 159 में दक्षिण दिशा का 1/3 हिस्से में जाने के लिए आपसी सहमति 15 फट चौड़ा रास्ता छोड़ा था। अप्रार्थीगण की नियत में बेईमानी होने पर

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

उक्त 15 फुट चोड़े रास्ते में ट्रेक्टर से हांक जोतकर तारफेंसिंग कर रास्ता अवरुद्ध कर दिया है। जिससे प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि खसरा नंबर 159 में दक्षिण दिशा की ओर जाने में काफी परेशानी होती है तथा प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के मध्य आए दिन रास्ते को लेकर लड़ाई–झगडा होता रहता है तथा अप्रार्थीगण ने प्रार्थी को प्रार्थी के हिस्से की भूमि खसरा नंबर 159 पर भी कब्जा कर बेदखल कर रास्ता बंद करने की धमकी दी।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जर्ये सम्मन तलब किया गया। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब पेश हुआ वकील प्रार्थी द्वारा अपने पक्ष के समर्थन में नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 212 पेश की गई।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। बहस के दौरान वकील प्रार्थी द्वारा प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यों को दौहराया गया। वकील प्रार्थी का कथन है कि विवादित आराजी वाके ग्राम चांचोडा तहसील छबडा में स्थित है। जो प्रार्थी व अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी व कब्जे काश्त में चली आ रही है खसरा नम्बर 159 रकबा 12.16 बीघा में शामलाती ट्युबवेल खुदवाया था जिसे प्रार्थी व अप्रार्थी सिंचित करते आ रहे है उक्त खसरा नम्बर में से दक्षिण दिशा की भूमि प्रार्थी के हिस्से में आई थी प्रार्थी के हिस्से में जाने के लिए 15 फुट चौडा रास्ता छोडा था। अप्रार्थीगण द्वारा उक्त रास्ते को बन्द कर दिया है तथा हांक जोत दिया है तथा तार फेसिंग कर अवरूद्ध कर दिया है प्रार्थी को अपने हिस्से की भूमि पर जाने के लिए परेशानी का सामना करना पड रहा है प्रार्थी अपने हिस्से की भूमि पर जाने के लिए आम रास्ते को खुलवाने के अधिकारी है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जावें।

बहस के दौरान वकील अप्रार्थी का कथन है कि प्रार्थी द्वारा मिथ्या एवं बनावटी पूर्ण तथ्यों के आधार पर प्रार्थना पत्र पेश किया है विवादित आराजी शामलाती खातेदारी की है जिसका विभाजन प्रार्थी व अप्रार्थीगण के मध्य नही हुआ है भूमि का विभाजन नही हुआ है प्रार्थी अच्छी भूमि को अपने पक्ष में विभाजन कराकर अपने नाम पृथक खाते दर्ज करवाना चाहता है प्रार्थी का 1/3 हिस्सा है भूमि का विभाजन अच्छी मे से अच्छी एवं बुरी में से बुरी भूमि का होना है प्रार्थी द्वारा जिस प्रकार 15 फिट का रास्ता बताया गया है वह गलत है प्रार्थी का कोई रास्ता नही है मेड पर होकर निकलता चला आ रहा है अप्रार्थीगण द्वारा आने जाने में कभी कोई बाधा उत्पन्न नही की है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र की आड में अप्रार्थीगण की हिस्से की भूमि से 15 फिट चौडा रास्ता कायम कराना चाहता है जिसका कोई अधिकार नही है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र रास्ते से सम्बन्धित है जिसका श्रवणधिकार सिविल न्यायालय को है विवादित आराजी प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण के शमलाती खाते में दर्ज है शामलाती खातेदारान के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा कानूनन जारी की जा सकती है प्रार्थी का प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावें।

बहस अभिभाषक उभय पक्षकारान सुनी गई। पत्रावली एवं रिकार्ड का अवलोकन किया गया। प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत नकल जमाबन्दी ग्राम चांचोडा सम्वत् 2075–78 खाता संख्या 212 के अनुसार प्रार्थी एवं अप्रार्थी क्रम 1 व 2 के शामलाती खातेदारी में नाम दर्ज ह इससे यह साबति होता है कि विवादित आराजी प्रार्थी व

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)

अप्रार्थीगण के शामलाती खातेदारी में दर्ज रिकार्ड है शामलाती भूमि कें प्रत्येक हिस्से में सभी काश्तकारों का बराबर हक होता है प्रत्येक सहखातेदार अपने–अपने कब्जे काश्त में आने जाने के लिए स्वतन्त्र है तथा अन्य सह खातेदारों को किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न करने का अधिकार नही है परन्तु अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट में अन्य सहखातेदारों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाना न्यायोचित नही है अतः प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 आर0टी0एक्ट खारिज किया जाना न्यायोचित है।

:: क्रियात्मक आदेश ::

उपरोक्त विवेचनानुसार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र मेन्टेनेवल नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

निर्णय लिखाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(रामसिंह गुर्जर)
आर.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी, छबडा

उपखण्ड अधिकारी
छबड़ा (बारां)